पृष्ठ

2.3/5 पत्रावली पेश हुई । वाद पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर होने के कारण [illegible] आगामी तिथि [illegible] को पेश हो । आदेश है । 7/6/22

7/6 पत्रावली पेश हुई । वाद पीठासीन अधिकारी [illegible] के कारण [illegible] तिथि [illegible] 6/7/22

पत्रावली पेश हुई । वाद पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर होने के कारण [illegible] आगामी तिथि [illegible] को पेश हो । आदेश है ।

6/7/22 पत्रावली पेश हुई [illegible]
दि० 20/07/22

20/07/22 पत्रावली पेश। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में पूर्व में न्यायालय द्वारा राजस्व कर्मियों से आराजी के खेत में अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट मांगी गई। चूंकि इस प्रकार की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की श्रेणी में आता है। अतः पत्रावली में बिना रिपोर्ट लिये ही बहस सुनी गई। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों, दावा, जवाबदावा एवम् बहस के आधार पर न्यायालय निम्नानुसार

तारीख
हुक्म

निष्कर्ष पर पहुंचा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।

1. वादीगण का दावा है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खसरा नं 545 में अवैध कब्जा / अतिक्रमण किया हुआ है।

2. वादीगण द्वारा उपरोक्त खसरे में काबिज प्रतिवादीगण, जो वादीगण के अनुसार 240 फावड़ा लम्बी 12 फावड़ा चौड़े क्षेत्रफल पर काबिज है, को हटाकर वादीगण को कब्जा दिलवाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में वादीगण द्वारा वर्णित बिन्दुओं को खारिज किये जाने बाबत निम्न दलील पेश की गई है।

1. प्रतिवादीगण के अनुसार वह स्वयं के खसरा सं. 545/1 पर काबिज है तथा 545 खसरा नं. में उनका

किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।

4. [illegible] आपत्तिकर्ता इकरार किये गये आपत्ति / आपत्तियाँ मे भी उत्तर [illegible] मे [illegible] स्थिति का निशानी नहीं है।

5. आपत्तिकर्ता निजामा पुत्र श्री कुंदनराम वादीगण का उत्तराधिकारी है इसके विरुद्ध कोई [illegible] एवं बेदखली का आदेश नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त दोनों व संभावना के आधार पर तनकीहात कायम की गई। तनकीहात न्यायालय का विश्लेषण निम्नानुसार है।

1. वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे कब्जा कायम है। (जिम्मेदारी)

इस तनकी के वादीगण द्वारा खसरा 545 के भूभाग स्वयं के काबिज होने का स्पष्ट निवेदन [illegible], सोनाजी [illegible], [illegible] स्पष्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] खसरा के [illegible] के काबिज होने संबंध मे आपत्ति [illegible] नहीं है।

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

मुकदमा .... बनाम ....

नं. .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2	प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का टाईटल प्राप्त करने के अधिकारी है (विरुद्ध प्रतिवादी) प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के पक्ष मे किसी प्रकार की दलील/साक्ष्य पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा सं. 545 में स्वयं के अधिकार सम्बंधी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं जताया गया। खसरा सं. 545 पर वादीगण का अधिकार साबित।	
3	प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी/बिना अधिकार के काबिज हैं एवम् उनको बेदखल किया जाना है। (विरुद्ध वादी) इस तनकी के संबंध में वादीगण द्वारा जमाबंदी खसरा सं. 545 एवम् खसरा सं. 545/1 पेश की।	

पत्रावली में संलग्न सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 19.05.2008 (द्वारा पटवारी मेड) एवम् सीमा सीमांकन फर्द दिनांक 02.07.08 प्रदर्शित नहीं की गई। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मात्र सीमा विवाद का होना स्पष्ट है। इन दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी/वादीगण द्वारा खसरा नं. 545 में अवैध कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा होना/किया जाना साबित नहीं किया जा सका। सीमा-विवाद के निस्तारण हेतु ~~सक्षम~~ वादीगण सक्षम कोर्ट से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा साबित नहीं होने से इसको बेदखल किये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
4.	वादीगण वादपत्र मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा के हकदार हैं (निर्णीत नकारात्मक)
	इस तनकी पर स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में खसरा नं. 545 वादीगण के स्वामित्व का है। प्रतिवादीगण द्वारा इस खसरे पर अधिकार संबंधी कोई दावा भी नहीं किया गया। परंतु प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरा सं 545 एवं 545/1 के मध्य सीमा विवाद है। इस स्थिति में बिना सीमा विवाद के निराकरण के स्थायी निषेधाज्ञा दिया/का आदेश पारित करना न्यायालय उचित नहीं समझता।
	उपरोक्त विश्लेषण के आधार न्यायालय का आदेश निम्नानुसार है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी के अभाव में एकपक्षीय बहस सुनी गई। तत्पश्चात विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण द्वारा दायर अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 काबिले खारिज है। वादीगण सीमा-विवाद के निस्तारण हेतु उचित/सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।	
	वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।	
	दीपक डबेराट, चौमूं	